राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारंभिक शिक्षा विभाग (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(5)शिक्षा–1/प्रा.शि./2003 पार्ट–I

जयपुर, दिनांकः 20/12/06

आयुक्त,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

प्रा.शि./निजी/ 316

22 DEC 2006

विषयः राज्य मे निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यकम शैक्षिक सत्र 2006–07 के लिए प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 1 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2006–07 में संस्थान के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठयकम में कॉलम सख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रकिया हेतु काउन्सलिंग में नियमानुसार सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क.सं	संस्था का नाम	पाठ्यकम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1.	मेवाड़ गर्ल्स कॉलोज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़(राज0)	एस.टी.सी.	50

उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तो के आधार पर प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ करवाई जावें।

1. प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अभ्यर्थी को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।

शैक्षिक सत्र 2006–07 में बीएसटीसी पाठयकम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।

विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछंडा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।

पाठयकम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।

पाठयकम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।

20.12.06
शासन उप सचिव
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
निजी सचिव, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार